

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर
 Telephone No 0141-2222683- E-mail-add4ng@gmail.com

क्रमांक:-ई-20/नर्सिंग/जोन-अजमेर/सेवानिवृति/ x-03-00781/2025/99

दिनांक:- 24/02/2025

-:: आदेश ::-

निम्नांकित कार्मिक जो 60 वर्षीय अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त होने जा रहे है को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से सेवानिवृत्त किया जाता है।

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम (श्री/सुश्री/श्रीमती)	पदस्थापन जिला	जन्मतिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1	श्रीमती सुशीला देवी सैन महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	शाहपुरा	05.05.1965	31.05.2025
2	श्रीमती कमला देवी शर्मा महिला स्वास्थ्य दर्शिका	शाहपुरा	21.11.1965	30.11.2025
3	श्रीमती आशा सेन महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	शाहपुरा	01.06.1965	31.05.2025
4	श्रीमती तारा चौधरी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	नागौर	10.08.1965	31.08.2025
5	श्रीमती सुमन कुमारी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	नागौर	10.10.1965	31.10.2025
6	श्रीमती पुष्पा जोशी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	नागौर	28.08.1965	31.08.2025
7	श्रीमती अंजना प्रवीन महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	नागौर	28.08.1965	31.08.2025
8	श्रीमती किरण महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	नागौर	01.01.1966	31.12.2025
9	श्रीमती लखविन्दर कौर महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	नागौर	02.03.1965	31.03.2025
10.	श्रीमती अन्नामा के.ऐ महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	नागौर	30.05.1965	31.05.2025
11	श्रीमती अरुणा शर्मा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	भीलवाडा	28.09.1965	30.09.2025
12	श्रीमती रजिता एन. नायर नर्सिंग अधिकारी	भीलवाडा	27.05.1965	31.05.2025
13	श्रीमती अमिता श्रीवास्तव महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	अजमेर	02.10.1965	31.10.2025
14	श्रीमती मेकेन्जी रोज महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	अजमेर	15.08.1965	31.08.2025
15	श्री श्रवण सिंह राणावत नर्सिंग अधिकारी	भीलवाडा	01.08.1965	31.07.2025
16	श्रीमती गायत्री भारतीय महिला स्वास्थ्य दर्शिका	टोंक	15.03.1965	31.03.2025
17	श्रीमती गीता कुमारी सी जी नर्सिंग अधिकारी	भीलवाडा	28.05.1965	31.05.2025
18	श्रीमती अलविना कुमारी रोज	अजमेर	11.09.1965	30.09.2025

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर
Telephone No 0141-2222683- E-mail-add4ng@gmail.com

	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता			
19	प्रेम बालोठिया महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	अजमेर	30.08.1965	31.08.2025
20	सोसम्मा वर्गिस महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	टोंक	29.04.1965	30.04.2025

यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त कार्मिका के विरुद्ध आज दिनांक तक :-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-ई-20/नर्सिंग/जोन-अजमेर/सेवानिवृत्ति/ x-03-00781/2025/97 दिनांक:- 24/02/2025

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राज. जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-अजमेर।
3. निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें ई0एस0आई0 योजना जयपुर।
4. सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
5. जिला क्षय निवारण केन्द्र, भीलवाडा।
6. सम्बन्धित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
7. प्रभारी डी0पी0सी0/राज हैल्थ अनुभाग, मुख्यालय,।
8. सम्बन्धित कार्मिका को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
9. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करावें।
10. आदेश/निजी पत्रावली।

Document certified by RAKESH KUMAR
SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>

Digitally Signed by Rakesh
Kumar Sharma
Designation: Director
Date :21-02-2025 06:39:28